सत्यमेव जयते

बिहार सरकार

वित्त विभाग

बजट 2022–23 का संक्षिप्त परिचय

वर्ष-2022

I. बिहार बजट 2022–23 का आर्थिक रूप–रेखा

वित्तीय वर्ष 2022–23 का बजट कोविड–19 वैश्विक महामारी के अवधि में दूसरा बजट है। कोविड–19 के विभिन्न वेरिएंट और आर्थिक मंदी से पूरा विश्व अभी भी जूझ रहा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में 3.0 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी। देश की भी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई थी। जबकि इस वर्ष जहाँ देश के लगभग सभी राज्यों की अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज की गई थी, वहीं बिहार में 2.5 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुआ था। यह आर्थिक वृद्धि दर देश में सर्वाधिक था। राज्य सरकार ने अनेक राजकोषीय उपायों द्वारा राज्य की आर्थिक वृद्धि दर को वर्ष 2021–22 के लिए 9.8 प्रतिशत तथा वर्ष 2022–23 के लिए 9.7 प्रतिशत अनुमानित किया है। इस परिस्थिति में राज्य सरकार बजट को राज्य की आर्थिक विकास दर में तेजी लाने तथा जन कल्याण के उद्देश्य से बनाया गया है।

बिहार का आर्थिक परिदृष्य

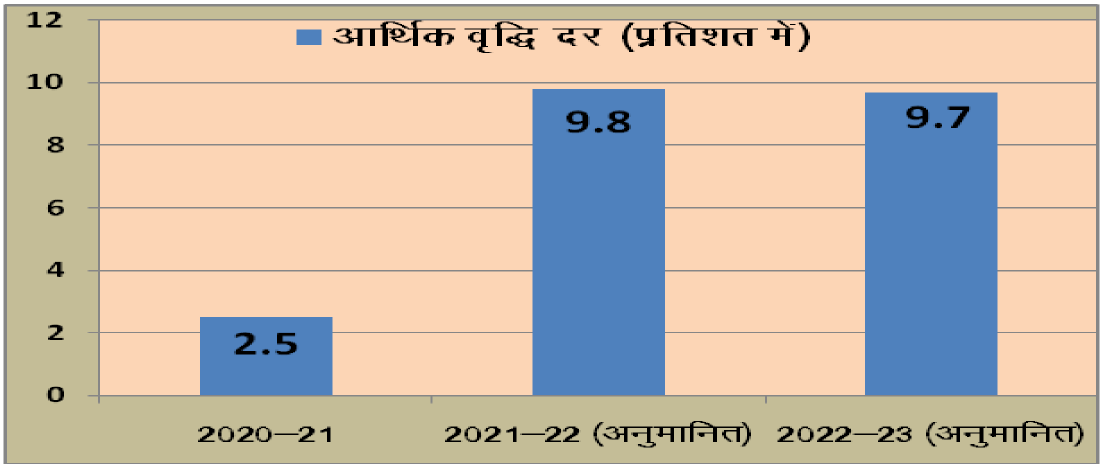

II. बिहार बजट 2022–23 का राजकोषीय अभिविन्यास

बिहार सरकार ने वर्ष 2006 से ही वित्तीय अनुशासन का बखूबी से पालन किया है। वर्ष 2020 से वैश्विक महामारी एवं वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद सरकार अपने विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन के द्वारा राज्य में वित्तीय असंतुलन नहीं होने दिया। इस विपरित परिस्थिति में राज्य सरकार केन्द्र सरकार से मिलकर जनता के लिए अनेकों लोकोपयोगी योजना का क्रियान्वयन किया है। इसके अतिरिक्त राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ एवं सतत् बनाने के लिए पूंजीगत निवेश में अभूतपूर्व उपबंध किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट के द्वारा राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत एवं सतत् रखने का प्रयास किया गया है।

राजकोषीय घाटा:– वित्तीय वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 के दौरान राज्य सरकार ने एफ०आर०बी०एम० एक्ट के दायरे में रहते हुए राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्रमशः 4.82 प्रतिशत, 2.97 प्रतिशत तथा 3.47 प्रतिशत रखा है। यह प्रतिशत एफ०आर०बी०एम० एक्ट के द्वारा निर्धारित सीमा क्रमशः 5.00 प्रतिशत (2020–21), 4.50 प्रतिशत (2021–22) एवं 4.00 प्रतिशत (2022–23) के अन्दर है।

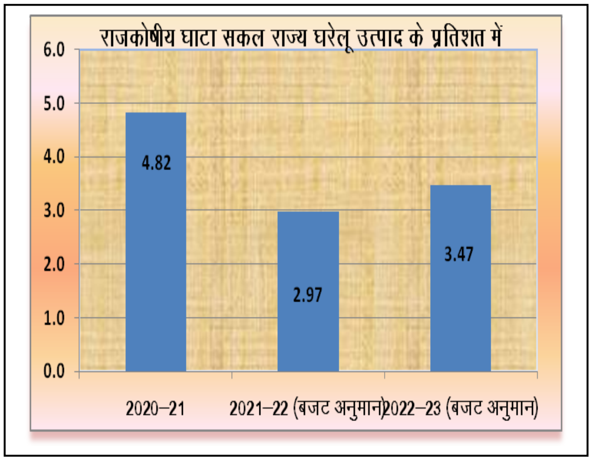

ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्ति में हिस्सा:– राज्य सरकार ने ऋण प्रबंधन में बुद्धिमानी दिखाते हुए राज्य की कुल देनदारियोंको एक सीमा के अन्दर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप ब्याज अदायगी भी एक सीमा के अन्दर ही रखा गया है। यह ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्ति का 10 प्रतिशत से कम है, जो वित्तीय अनुशासन का घोतक है।

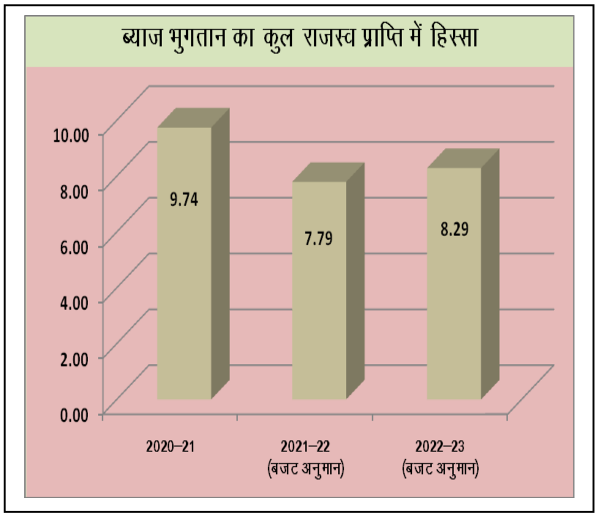

III. राजस्व प्राप्तियाँ की प्रवृति एवं संरचना

पिछले तीन वर्षों में राज्य का राजस्व में वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2020–21 के 1.28 लाख करोड़ रूपये की तुलना में वर्ष 2021–22 में 1.86 लाख करोड़ रूपये तथा वर्ष 2022–23 में 1.97 लाख करोड़ रूपये का संग्रह अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के वास्तविक राजस्व प्राप्ति की तुलना में वर्ष 2022–23 में 53.5 प्रतिशत का उछाल अनुमानित है।

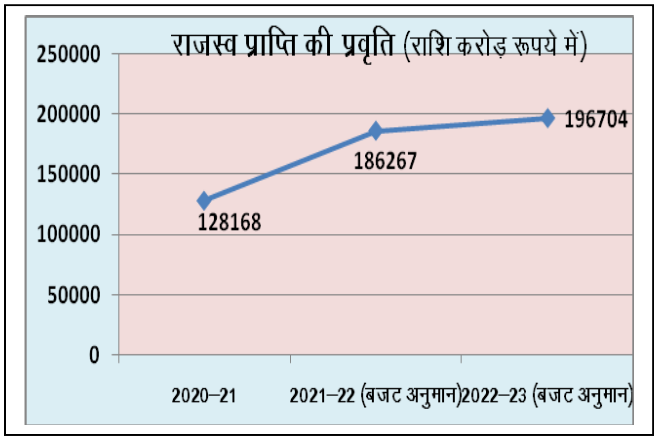

राजस्व संग्रह की संरचनाः— वित्तीय वर्ष 2022—23 के दौरान राज्य की राजस्व की संरचना निम्नवत् रहने का अनुमान है। सर्वाधिक राजस्व केन्द्र से करों में हिस्सा के रूप में 46 प्रतिशत प्राप्त होने का अनुमान है। इसके बाद केन्द्रीय अनुदान के रूप में पूरे राजस्व का 30 प्रतिशत अनुमानित है। शेष राजस्व 24 प्रतिशत राज्य के अपने कर एवं गैर—कर मद से प्राप्त होना अनुमानित है।

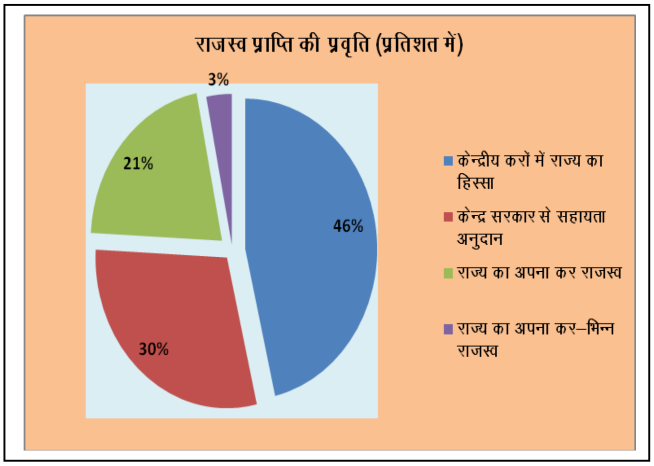

IV. राजकोषीय प्राथमिकताओं की प्रवृति एवं विन्यास

बिहार बजट 2022—23 की प्रमुख प्राथमिकताऐं आर्थिक विकास एवं गति देने के साथ—साथ लोक कल्याण है। आर्थिक विकास के लिए पूंजीगत व्यय को वित्तीय वर्ष 2022—23 में वित्तीय वर्ष 2020—21 की तुलना में 74.54 प्रतिशत बढ़ाया गया है। इसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 45735 करोड़ रूपये का प्रावधान है। साथ ही आर्थिक क्षेत्र में 60,591 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। जन—कल्याण हेतु सामाजिक प्रक्षेत्र में 96,255 करोड़ रूपये की राशि का उपबंध है। राज्य में कानून व्यवस्था एवं प्रशासनिक नियंत्रण के मद में 66,168 करोड़ रूपये की राशि सामान्य क्षेत्र के लिए अनुमानित है। पूरे बजट का 67.37 प्रतिशत विकासात्मक व्यय के रूप में प्रावधानित है। राज्य का स्कीम व्यय 1 लाख करोड़ रूपये की है।

क्षेत्रवार व्यय संरचना

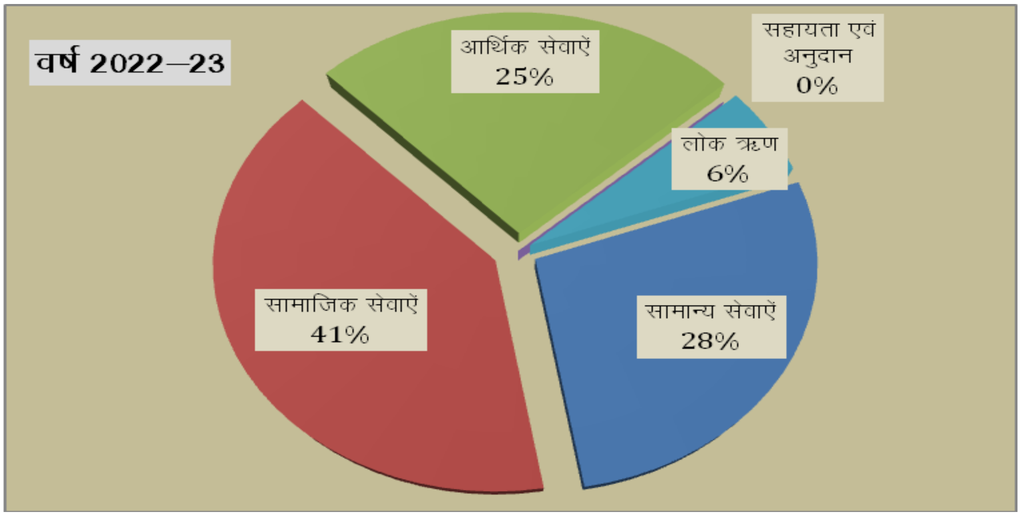

कुल व्यय का प्रवृति

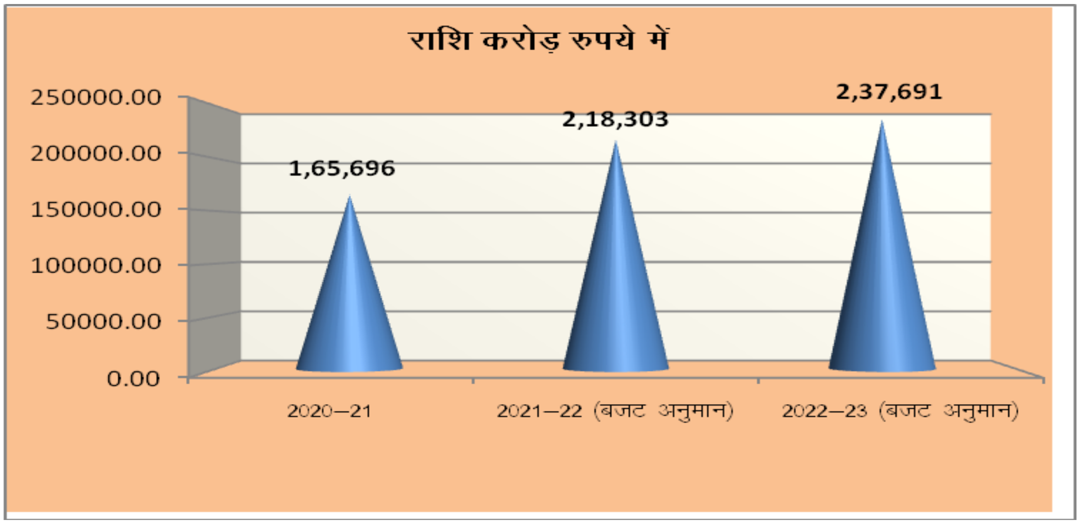

विकासात्मक एवं गैर–विकासत्मक व्यय

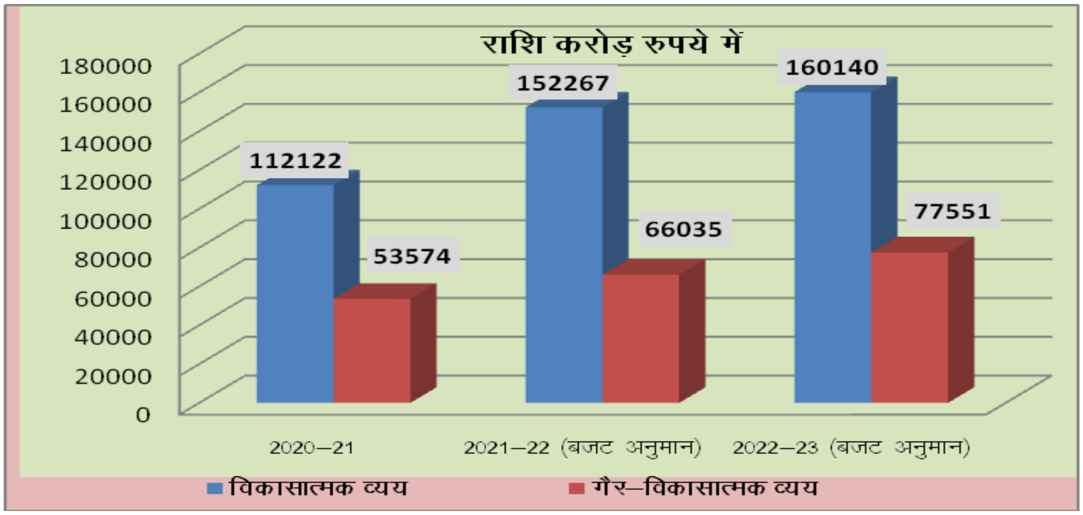

राजस्व एवं पूंजीगत व्यय

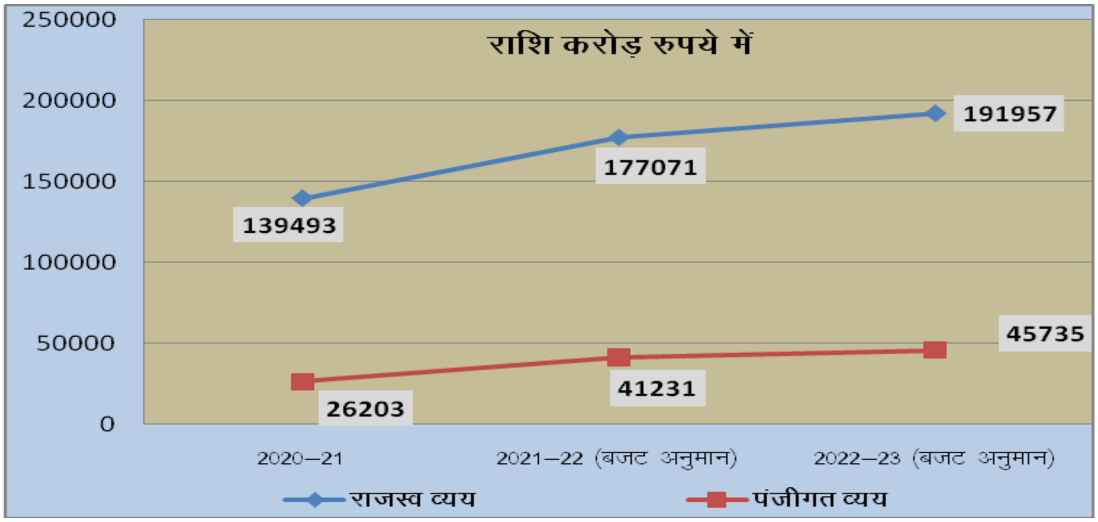

V. ऋण प्राप्ति की रूपरेखा

राज्य सरकार 2006 से ही वित्तीय अनुशासन में अनुशासित रही है और वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट में भी एफ०आर०बी०एम० अधिनियम की सीमा का अनुपालन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल लोक ऋण 40,756 करोड़ रूपये अनुमानित है। यह ऋण पूरी तरह से राज्य की आधारभूत संरचनाओं तथा परिसंपत्ति के निर्माण एवं मजबूती पर खर्च होना है। यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि अर्थव्यवस्था को विस्तारित बनाने के लिए निर्धारित ऋण सीमा को अधिक–से–अधिक उपयोग किया जाता है। जिससे उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल बकाया देनदारियाँ 2.88 लाख करोड़ रूपये अनुमानित है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 38.66 प्रतिशत है। यह आंकड़ा एफ०आर०बी०एम० अधिनियम के द्वारा निर्धारित सीमा 40.80 प्रतिशत के अन्दर है।

लोक ऋण की प्रवृति

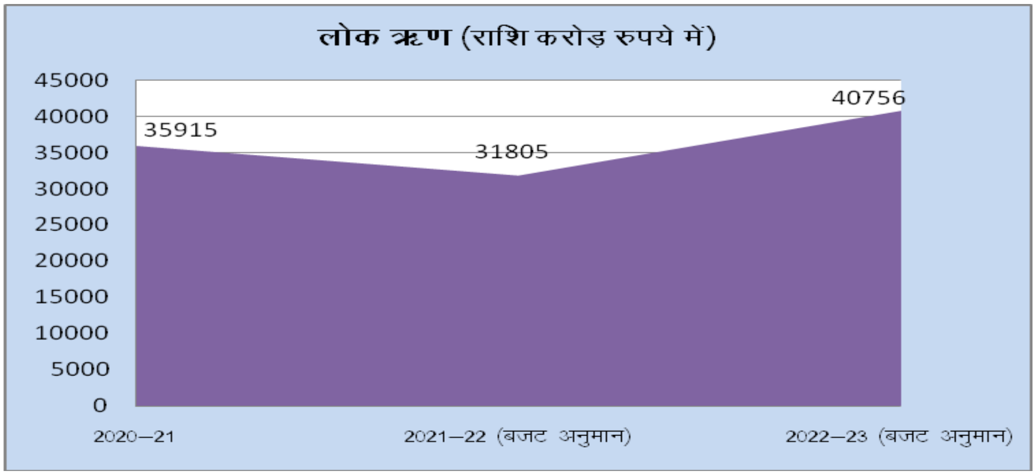

कुल बकाया ऋण एवं वित्तीय अनुशासन

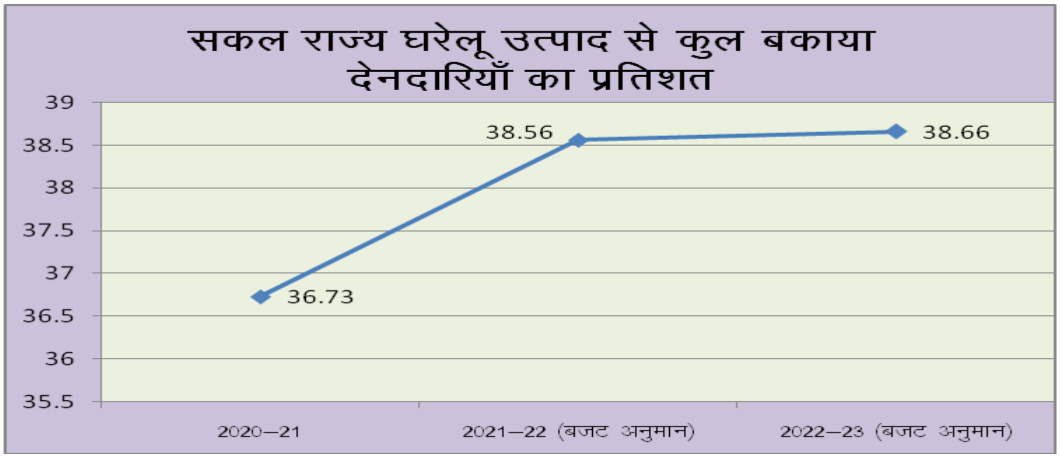

VI. बिहार बजट 2022–23 के छः सूत्र

बिहार बजट 2022–23 (राशि करोड़ रुपये में)		
छः मुख्य सूत्र		
सूत्र संख्या	सूत्र	बजट प्रावधान
प्रथम सूत्र	स्वास्थ्य	16,134.39
द्वितीय सूत्र	शिक्षा	39,191.87
तृतीय सूत्र	उद्योग एवं उद्योग में निवेश	1,643.74
चतुर्थ सूत्र	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र	7,712.30
पंचम सूत्र	आधारभूत संरचना (ग्रामीण एवं शहरी)	29,749.64
षष्ठम सूत्र	कल्याण	12,375.07

VII. आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 (वित्तीय वर्ष 2022–23)

वित्तीय वर्ष 2022–23 में सात निश्चय–2 अन्तर्गत कुल 5000.00 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

1. **युवा शक्ति– बिहार की प्रगति:–**

7 निश्चय के तहत बिहार में युवाओं के लिए कई कार्यक्रम चलाये गये हैं । वित्तीय वर्ष 2022–23 अन्तर्गत कुल 1153.00 करोड़ रुपये का उपबंध विभिन्न योजनाओं में किया गया है ।

2. **सशक्त महिला, सक्षम महिला:–**

उच्चतर शिक्षा एवंउद्यमिता हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस निश्चय के तहत राज्य सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 900.00 करोड़ रुपये का उपबंध इस निश्चय अन्तर्गत किया गया है ।

3. **हर खेत तक सिंचाई का पानी:–**

राज्य सरकार हर संभव माध्यम से हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 600.00 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है ।

4. **स्वच्छ गाँव–समृद्ध गाँव:–**

राज्य सरकार गांवो को समृद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 847.00 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है ।

5. **स्वच्छ शहर–विकसित शहर:–**

राज्य सरकार शहरोंको विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 550.00 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है ।

6. **सुलभ सम्पर्कता:–**

राज्य सरकार सम्पूर्ण राज्य में आवागमन को सर्व–सुलभ करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 450.00 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है ।

7. **सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा:–**

राज्य सरकार गाँव–गाँव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता एवं बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 500.00 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है ।

VIII. वित्तीय वर्ष 2022–23 में महत्वपूर्ण स्कीमों में उपबंधित राशि की विवरणी

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रमांक	स्कीम का नाम	उपबंधित राशि
1	सर्व शिक्षा अभियान (एस०एस०ए०) (समग्र शिक्षा)	15683.86
2	सबके लिए आवास (ग्रामीण)	8689.14
3	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना	5014.30
4	प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एम०डी०एम०)	3100.00
5	एन आर एच एम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	3071.74
6	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आई०सी०डी०एस०)	3060.54
7	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	2500.00
8	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	2081.06
9	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)	1980.00
10	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	1738.40
11	ए०डी०बी० (नाबार्ड से ऋण)	1563.00
12	मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना	1400.00
13	मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना	960.00
14	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	950.00
15	त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (ए०आई०बी०पी०) तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	912.16
16	मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना	810.00
17	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना–वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क सम्पर्क परियोजना	754.00
18	मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	728.00
19	बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना	700.00
20	वृहद सड़कें (राज्य योजना सड़क प्रक्षेत्र)	663.89
21	स्मार्ट सिटी मिशन	620.00
22	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	600.00
23	केन्द्रीय सड़क निधि	600.00
24	बिहार राज्य फसल सहायता योजना	542.91
25	कृषि बाजार का विकास (नाबार्ड से ऋण)	530.00
26	सबके लिए आवास (शहरी)	524.00
27	अनुसूचित जाति/जनजाति के भवन	480.00
28	पुलिस भवनों का निर्माण एवं संधारण	459.06
29	अभियंत्रण महाविद्यालय भवन	400.00
30	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	389.00
31	आपातकालीन कोशी बाढ़ पुनर्वास परियोजना, विश्व बैंक से ऋण	375.00
32	मुख्यमंत्री पोशाक योजना	350.00
33	पंचायत सरकार भवन	330.00
34	नीली क्रांति–समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना–2020–21)(पी०एम०एम०एस०वाई०)	328.43

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रमांक	स्कीम का नाम	उपबंधित राशि
35	स्टेडियम एवं खेल संरचना	325.00
36	छात्रवृत्ति/वजीफा	303.00
37	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	300.00
38	स्वच्छ भारत मिशन–2	290.10
39	मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना	262.65
40	सर्वेक्षण एवं बन्दोवस्त कार्य का पुनरीक्षण	262.45
41	राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (आई०एस०एस०एन०आई०पी० सहित)	261.33
42	आंगनबाड़ी सेवाएँ	258.81
43	मुख्यमंत्री साइकिल योजना	243.00
44	बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	240.00
45	अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	215.00
46	राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन	200.00
47	प्रारम्भिक विद्यालय भवन	200.00
48	ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास	198.87
49	हवाई अड्डे के निर्माण	196.16
50	पर्यटकीय संरचनाओं का विकास	155.00
51	सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन	151.00
52	खाद्यान्न भंडार गोदामों का निर्माण (नाबार्ड से ऋण)	150.00
53	पटना मैट्रो रेल	150.00
54	उद्यान विकास योजना	140.00
55	इंजिनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थानों के लिए भवन	140.00
56	पर्यटकीय विकास	133.50
57	आंगनबाड़ी के केन्द्रों के बच्चों के लिए पोशाक योजना	119.19
58	औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	118.50
59	मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना	105.00
60	स्किल स्ट्रैंथिंग फॉर इंडस्ट्रीयल वैल्यु एन्हान्समेंट (STRIVE)	102.13
61	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के हिस्सा पूंजी के रूप में	100.00

****

(c) Copyright 2022 Finance Department, Govt. of Bihar